राजस्थान सरकार,

अभियोजन निदेशालय,राजस्थान,जयपुर

क्रमॉकः– प.7(1)एवार्ड / विविध / अभि. / 14 / 14942-84 दिनांक 21-12-16

प्रेषितः–

समस्त सहायक / उप निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।

विषयः– गणतंत्र दिवस समारोह–2017 के अवसर पर लोक कलाकारों, आटिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों इत्यादि को प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने बाबत्।

सन्दर्भः– मँत्रिमण्डल सचिवालय का अशा0 टीप क्रमाँक प0 25(5)मंमं / 2016 पार्ट जयपुर, दिनाँक 15.12.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि मँत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह–2017 के अवसर पर लोक कलाकारों, आटिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों इत्यादि को प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रंदान किये जाने बाबत् आवेदन चाहा है। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः उक्त प्रशंसा प्रमाण–पत्रों हेतु योग्य अधिकारियों / कर्मचारियों का आवेदन निर्धारित प्रारूप में सूचना पूर्ण कर निर्धारित अवधि से पूर्व निदेशालय को भिजवायें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

21/12/16

(अशोक कुमार बम्नावत)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

अति–आवश्यक/आज जारी हो।
गणतंत्र दिवस समारोह–2017

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

अभियोजन निदेशालय राज. जयपुर
19 DEC 2016
12858
क्रमांक

विषयः– गणतंत्र दिवस समारोह–2017 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों इत्यादि प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

आगामी **गणतंत्र दिवस समारोह–2017** के राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये जाने वाले एटहोम कार्यक्रम पर **लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों इत्यादि** को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जावेंगे, जिनके लिये प्रस्ताव विचारार्थ अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित विभागों द्वारा उक्त प्रकार के **प्रस्ताव दिनांक 02.01.2017 तक अपनी सिफारिश के साथ मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें,** ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।** अतः प्रस्ताव भेजते हुये कृपया निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये ही प्रस्ताव भेजे जावें अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जावेगाः–

1. प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से उनकी अनुशंषा सहित संबंधित विभाग के शासन सचिव को प्रेषित किये जावें।
2. जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जावेगा।
3. प्रस्ताव 7 प्रतियों में प्रेषित किये जावें। विशिष्ट उपलब्धियां अधिकतम एक पृष्ठ में प्रस्ताव के साथ प्रेषित की जावें।

उक्त प्रकार के प्राप्त प्रस्तावों पर गठित समिति विचार–विमर्श कर प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु अधिकतम 15 नामों की सिफारिश करेगी।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।

अशा0 टीप क्रमांकः प0 25(5)मंमं/2016 पार्ट
जयपुर, दिनांकः 15/12/16

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों **(जिला कलेक्टरों सहित)** को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस प्रकार के प्रस्ताव संबंधित विभाग के शासन सचिव को प्रेषित किये जावें, तत्पश्चात विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जावेंगे। सीधे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी और प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(हरी बाबू शर्मा)
सलाहकार

2401C

लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, खिलाड़ी तैराक आदि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में प्रपत्र

1. अग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पता:
4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या आदि सहित)
5. जन्म तिथि:
6. अर्जित विशिष्ट उपलब्धियां का क्षेत्र:
7. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
8. विभाग द्वारा अग्रेषण टिप्पणी:
9. जिला कलक्टर एवं प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा:
10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

संस्तुत करने वाले प्राधिकारी
का हस्ताक्षर मय नाम व पदनाम सहित
दिनांक: